

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)  
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 12/2010

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री रमेश पुत्र श्री डूंगाराम जाति पुरोहित निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा। 2. श्री जामतसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री भंवर पुत्र श्री डूंगाराम जाति पुरोहित निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		
3. श्रीमती बादलीबाई देवा श्री डूंगाराम जाति पुरोहित निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम,  
1994

उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 07 दिनांक 09.04.2002 वर्गफीट 1316 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरुद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक बावजूद नोटिस तामिली के अनुपरिथत। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे जरिये वकालत के उपस्थिति दी। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित पट्टा संख्या 07 दिनांक 09.04.2002 वर्गफीट 1316 जारी किया है। पंचायत के अभिलेख में भूमि के विक्रय के संबंध में मिसल दायर संख्या 41 दिनांक 27.10.2001 को दर्ज की गई है तथा पट्टे में भी मिसल संख्या 41 दिनांक 27.10.2001 दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि प्रार्थी की गांव शिवगढ़ पटवार हल्का कोजरा तहसील पिण्डवाड़ा में खातेदारी कब्जे काशत की भूमि राजस्व भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त खातेदारी कृषि भूमि को आबादी में बताते हुए ग्राम पंचायत कोजरा से अवैध रूप से किए हुए कब्जे का पट्टा प्राप्त करने के लिए दिनांक 27.01.2001 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायत कोजरा ने पचास वर्ष पुराना कब्जा व मकान न होते हुए भी अप्रार्थी संख्या दो दिनांक 09.04.2002 को कुल 1316 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व खातेदारी भूमि की है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान 28.06.2010 को कराया एवं भूमि को समतल करने लगे तब अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा तब अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करना बताया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित पट्टा संख्या 07 दिनांक 09.04.2002 वर्गफीट 1316 को निरस्त करना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या दो पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या दो को हैरान परेशान करने की नियम से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।


उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह कथन है कि विवादित भूमि प्रार्थी के गांव शिवगढ़ पटवार हल्का कोजरा तहसील पिण्डवाड़ा में खातेदारी कब्जे काशत की भूमि राजस्व भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त खातेदारी कृषि भूमि को आबादी में बताते हुए ग्राम पंचायत कोजरा से अवैध रूप से किए हुए कब्जे का पट्टा प्राप्त करने के लिए दिनांक 27.01.2001 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायत कोजरा ने पचास वर्ष पुराना कब्जा व मकान न होते हुए भी अप्रार्थी संख्या दो दिनांक 09.04.2002 को कुल 1316 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया जो नियम विरुद्ध है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व खातेदारी भूमि की है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि विवादित भूमि खातेदारी भूमि है एवं खातेदारी भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असमर्थ रहे कि

मिला कलेक्टर, सिरोही

ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विवादित पट्टा खातेदारी भूमि का न होकर उनकी कब्जे काश्त की भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 09.04.2002 वर्गफीट 1316 मिसल दायर संख्या 41 दिनांक 27.10.2001 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

  
(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

